न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पदासीन अधिकारीः–चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :–37/2018 प्रार्थना पत्र
1 उदयराम पिता घीसा जाट, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

––––––प्रार्थी

बनाम

श्री नारायण पिता भीमराज ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री श्यामलाल पिता भीमराज ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री डालचन्द पिता भीमराज ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

–––––विपक्षीगण

––––––––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः–11.4.2018

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू– राजस्व नियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सांगवा पटवार ा सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1072 रकबा 3 बिस्वा, 1073 ा 1 बीघा 1 बिस्वा, 1074 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 1075 रकबा 2 बीघा 1076 रकबा 1 बीघा 9 ा कुल किता 5 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित जियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के ा आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे ा की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहती हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 9.2.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन गण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 4 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे न पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 4 को कितनी ही मर्तता विधिवत् आवाजे दिलाई के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 11.4.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते सीमा बावत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान ~~लैण्ड~~ रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर ग्राम सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

ाजी नम्बर 1072 रकबा 3 बिस्वा, 1073 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 1074 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 5 रकबा 2 बीघा 1076 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि की ी जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये ाभिलेख निरीक्षक, कारोई कंला को 700/-रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की दगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को ना हेतु लिखा जावें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 11.4.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner